न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 01/2022

अपीलार्थी

श्री धरमाराम पुत्र श्री रीमाराम जाति गरासिया निवासी पाबा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत जिला सिरोही (राज.)।

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम, 1959

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 24.09.2024

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सिरोही (राजस्थान)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय सिरोही के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्मस/2014/615 दिनांक 24.09.2014 के द्वारा श्री धरमाराम पुत्र श्री रीमाराम जाति गरासिया निवासी पाबा तहसील आबूरोड जिला सिरोही का अनुज्ञापत्र संख्या 17/2003 को निरस्त कर उक्त अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार एक एमएल गन संख्या ए.बी.आर./5/67/81 को पुलिस थाना रोहिडा में जमा कराने के आदेश पारित किए गए थे।

उक्त आदेश से व्यथित होकर श्री धरमाराम पुत्र श्री रीमाराम जाति गरासिया निवासी पाबा तहसील आबूरोड जिला सिरोही द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–18 के तहत इस न्यायालय में अपील दायर की। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाकर मूल पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को एक [illegible] गन हेतु अनुज्ञापत्र संख्या 17/2003 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा जारी की [illegible] अपीलांट द्वारा अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2012 तक नियमानुसार [illegible] गया। तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 01.01.2013 से 3[illegible] जरिए चालान संख्या 42 दिनांक 02.01.2013 को [illegible] रुपये जमा कर आवेदन [illegible] तब अपीलांट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किए [illegible] से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट [illegible]र्वत द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना रोहिडा से रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें [illegible] को प्रकरण संख्या 14 दिनांक 06.03.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. दर्ज होकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण का निस्तारण जरिए राजीनामा के न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड द्वारा सरकार बनाम धरमा मुकदमा संख्या 523/2007 निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

दिनांक 12.07.2007 को किया जाकर अपीलांट को बरी किया जा चुका है, जिसकी जानकारी पुलिस थाना रोहिडा को होते हुए भी उक्त तथ्यों को छुपाकर केवल मात्र मुकदमा दर्ज होना बताकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का लाईसेन्स निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह है कि अपीलांट अनपढ व अंगूठा छाप व्यक्ति है, जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है एवं खेती कर जीवन व्यापन करता है एंव काश्तकार व्यक्ति है। उक्त लाईसेन्स निरस्ती की सूचना प्राप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड व सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही से नकल मांगी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्रकरण की पत्रावली विलीड हो जाने से प्रकरण के निस्तारण के इन्द्राज रजिस्टर की नकल प्राप्त की गई एवं नकल प्राप्ति के पश्चात लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 03.08.2015 को अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने हेतु बताया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील में दर्ज तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा जारी आदेश क्रमांक/न्याय/आर्मस/2014/615 दिनांक 24.09.2014 को निरस्त करवाकर उसका लाईसेंस बहाल कराने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा आदेश पारित करने में कोई भी कानूनन भूल नहीं की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना रोहिडा की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना रोहिडा में प्रकरण संख्या 14 दिनांक 06.03.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. दर्ज था। अतः गर्म मिजाज एवं उग्र व्यक्ति के पास हथियार होना कानून और व्यवस्था के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एमएल गन अनुज्ञापत्र संख्या 17/2003 को दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत को आवेदन किया था परन्तु उक्त आवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना रोहिडा में प्रकरण संख्या 14 दिनांक 06.03.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रोहिडा के पत्र क्रमांक 49 दिनांक 17.03.2013 के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 14 दिनांक 06.03.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. दर्ज था, जिसका परिवाद जेएम कोर्ट आबूरोड में पेश किया गया, जो प्रकरण संख्या 530/2007 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि अपीलांट को जेएम कोर्ट आबूरोड द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 530/2007 में जरिए राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करते हुए बरी किया गया ... अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो, ऐसा किसी भी प्रकार ... साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः इससे यह ... थाना रोहिडा में दर्ज प्रकरण संख्या 14 दिनांक 06.03.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. के बाद अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है एवं अपीलांट का गर्म मिजाज एवं शांतिपूर्ण प्रवृति का नहीं होने का भी कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से अपीलांट के साथ नरमाई का रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा जारी आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्रमांक/न्याय/आर्गस/2014/615 दिनांक 24.09.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विधि में स्थापित लाईसेन्स नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत यथोचित कार्यवाही के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत को उनकी पत्रावली के साथ आवश्यक कार्यवाई हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner